

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

पत्रांक...1496...../

प्रेषक:- मिथलेश केरकेड़ा,
जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई. राँची।

सेवा में,

प्राचार्य
एस0आर0 डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल
पुंदाग, राँची

राँची, दिनांक 12-06-24/

विषय:- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत निजी विद्यालयों को वर्ग 1 से 8 तक की मान्यता के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक DAV/PUN/2024-25/065 दिनांक 20.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत निजी विद्यालय को वर्ग 1 से 8 तक की मान्यता हेतु प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अभिलेख एवं संबंधित पदाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण आदि प्रक्रियाधीन है। संबंधित प्रखण्ड के विभागीय पदाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक से जांचोपरान्त आपके प्रस्ताव को जिला शिक्षा स्थापना समिति, राँची के समक्ष मान्यता पर विचार हेतु रखा जाएगा।

आर0टी0ई0 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-

नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई. राँची।

11-06-24